संख्या : 3942 /62-2-2012-2/2(10)2012

प्रेषक,

एस0के0द्विवेदी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 नवम्बर, 2012

विषयः-जिला योजना के अन्तर्गत लघु/सीमान्त श्रेणी के सामान्य/अनुसूचितजाति/जनजाति के कृषकों हेतु संचालित निःशुल्क बोरिंग योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1263/62-2-06-2/2(42)/98 दिनांक 31.05.2006 एवं शासनादेश संख्या 493/62-2-2009-2/2(42)/1998 दिनांक 12.02.2009 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनुदान अनुमन्य किया गया हैः-

	कृषक की श्रेणी	बोरिंग पर	पम्पसेट पर	कुल अनुदान
(अ)	सामान्य श्रेणी के लघु कृषक (2.5 एकड़ से 5 एकड़)	रू0 5,000/- प्रति बोरिंग	रू0 4,500/- प्रति पम्पसेट	रू0 9,500/-
(ब)	सामान्य श्रेणी के सीमान्त कृषक (0 से 2.5 एकड़)	रू0 7,000/- प्रति बोरिंग	रू0 6,000/- प्रति पम्पसेट	रू0 13,000/-
(स)	अनुसूचितजाति/ जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषक	रू0 10,000/- प्रति बोरिंग	रू0 9,000/- प्रति पम्पसेट	रू0 19,000/-

2- वर्तमान में संचालित उक्त योजना के अन्तर्गत जल के अपव्यय को रोकने हेतु जल वितरण प्रणाली की स्थापना हेतु अनुदान की व्यवस्था नहीं है। भूगर्भ जल के दोहन पर बढ़ते दबाव के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि निःशुल्क बोरिंग योजना में जल वितरण प्रणाली हेतु भी अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया जाय। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में उक्त योजना हेतु अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत चालू योजना में तथा अनुदान संख्या-81 एवं 83 के अन्तर्गत नई मदों में बजट

कमशः 2 पर

प्राविधान हुआ है।

3- उक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के कृषकों को बोरिंग एवं पम्पसेट पर वर्तमान में अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त 25 प्रतिशत लाभार्थियों को 90 एम0एम0 व्यास का 30 से 60 मीटर एच.डी.पी.ई. पाइप सिंचाई सिस्टम की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 3,000.00 का अनुदान सभी श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों को दिए जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4- निःशुल्क बोरिंग योजना के कियान्वयन के संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शेष दिशा-निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

5- कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0 के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव।

सं0:- 3942 (1)/62-2-2012,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/राजस्व/कर एवं निबन्धन/समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- कृषि उत्पादन शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
6- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7- कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त विभागाध्यक्ष।
8- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 लखनऊ।
9- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
10-निदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश।
11-निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, बी0के0टी0, लखनऊ।
12-समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
13-समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
14-उपनिदेशक, सॉंख्यकिय सेल, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
15-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16-समस्त जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लि0 उत्तर प्रदेश।
17-समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
18-अधीक्षण अभियंता, विषय विशेषज्ञ, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
19-अधिशासी अभियंता, आपूर्ति खण्ड, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
20-निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश स्टेशन रोड, लखनऊ।
21-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
22-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव।

Pipe 12-25